दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.04.2022 का कार्यवृत्त

स्थान : कुलपति कान्फ्रेन्स कक्ष
समय : अपरान्ह् 03.30 बजे
उपस्थितिः–

1. प्रो0 राजेश सिंह, कुलपति, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर — अध्यक्ष
2. श्री धर्मेन्द्र प्रकाश त्रिपाठी, पूर्व वित्त अधिकारी, (कार्यपरिषद द्वारा नामित सदस्य) — सदस्य
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर (प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा) — सदस्य
4. कुलसचिव, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर — सदस्य
5. परीक्षा नियन्त्रक, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर — सदस्य
6. वित्त अधिकारी, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर — सचिव

कार्य–वृत्त

1. वित्त समिति की बैठक दिनांक 21.12.2021 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टि पर विचार।

"वित्त समिति द्वारा पिछले बैठक दिनांक 21.12.2021 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।"

2. वित्त समिति की बैठक दिनांक 21.12.2021 के क्रियान्वयन से अवगत होना।

"वित्त समिति अपनी पिछली बैठक दिनांक 21.12.2021 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई।"

कार्यसूची विन्दु सं0	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिए गये निर्णय	पिछली बैठक में लिए गये निर्णयों पर कार्यवाही
1.	वित्त समिति की बैठक दिनांक 21.12.2021 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।	सम्पुष्टि की गयी	सम्पुष्टि की गयी
2.	वित्त समिति की बैठक दिनांक 21.12.2021 की क्रियान्वयन से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	अवगत हुई।
3.	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में वेतन मद में लगभग 80.00 करोड़ व्यय–भार सम्भावित है, जिसके सापेक्ष अभी तक शासन द्वारा इस वित्तीय वर्ष में मानक मद 21 वेतन मद में रू0 8,61,99,000.00 तथा मानक मद 20 गैर वेतन मद में रू0 72,00,000.00 की स्वीकृति प्रदान की गयी है। पूर्व में शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में वेतन मद में रू0 61.61 करोड़ एवं गैर वेतन मद में रू0 2.88 करोड़ इस प्रकार कुल रू0 64.49 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में वेतन मद में 20.00 करोड़ एवं गैर वेतन मद में 2.88 करोड़ इस प्रकार कुल रू0 22.88 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 में वेतन मद में रू0 28.00 करोड़ एवं गैर वेतन मद में रू0 2.16 करोड़ इस प्रकार कुल रू0 30.16 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ था किन्तु वर्तमान वित्तीय वर्ष में वेतन मद में मात्र 8,61,99,000.00 एवं गैर वेतन मद में मात्र रू0 72,00,000.00 का आवंटन प्राप्त होने के कारण वेतन एवं वेतन संबंधी अवशेष एवं बोनस के भुगतान में हो रहीं कठिनाई को देखते हुए शासन से और अनुदान अवमुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया था। इसके क्रम में शासन ने अपने पत्र सं0 file No. 70–4099/1860/2019–4 उच्च शिक्षा अनुभाग–4 दिनांकः 28 सितम्बर, 2021 एवं शासन के पत्र संख्या – 2076/सत्तर–4–2021/(15)/ 2010 दिनांक 08 दिसम्बर, 2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि विश्वविद्यालय के वेतन तथा गैर वेतन मद में होने वाले व्यय–भार का वहन विश्वविद्यालय अपने पास उपलब्ध बचत की धनराशि से किये जाने पर विचार करें।	सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति माह दिसम्बर, 2021 के वेतन भुगतान हेतु विश्वविद्यालय में उपलब्ध सावधि जमा रसीद (एफ0डी0) को तोड़ते हुए भुगतान किये जाने एवं विश्वविद्यालय में धन उपलब्ध होने पर पुनः सावधि जमा रसीद (एफ0डी0) बनाये जाने की संस्तुति की गयी।	कार्यवाही की गयी

	उपर्युक्त के क्रम में माह दिसम्बर, 2021 के वेतन के भुगतान हेतु विश्वविद्यालय में उपलब्ध सावधि जमा रसीद (एफ0डी0) को तोड़ते हुए भुगतान हेतु प्रस्तावित है कृपया समिति सहमत होना चाहें।		
4.	विश्वविद्यालय द्वारा इण्डियन बैंक में जमा सावधि (एफ0डी0) पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों कर्मचारियों के माह अक्टूबर एवं नवम्बर, 2021 के वेतन हेतु लिये गये ऋण माह अक्टूबर, 2021 में 7.00 करोड़ एवं नवम्बर, 2021 में 4.77 करोड़ कुल रू0 11.77 करोड़ को ब्याज सहित वापस किये जाने से समिति अवगत होना चाहें।	सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति विश्वविद्यालय द्वारा इण्डियन, बैंक में सावधि जमा रसीद (एफ0डी0) पर लिए गये कुल ऋण रू0 11.77 करोड़ को ब्याज सहित वापस किये जाने की संस्तुति की गयी।	कार्यवाही की गयी
5.	शासन से जब तक वेतन एवं गैर वेतन मद में पर्याप्त ग्राण्ट उपलब्ध नहीं हो रही है तब तक के लिये वेतन एवं अन्य अपरिहार्य व्यय को सावधि (एफ0डी0) की धनराशि से व्यय किये जाने हेतु समिति सहमत होना चाहें।	सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा शासन से जब तक वेतन एवं गैर वेतन मद में पर्याप्त ग्राण्ट उपलब्ध नहीं हो रही है तब तक सावधि जमा रसीद (एफ0डी0) की धनराशि से वेतन एवं अन्य अपरिहार्य व्यय को वहन किये जाने की संस्तुति की गयी।	कार्यवाही की गयी
6.	विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2021–22 में समावर्तन समारोह/स्वर्ण पदक मद में रू0 45.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया था, परन्तु उक्त वित्तीय वर्ष में दो बार समावर्तन समारोह/स्वर्ण पदक होने के कारण मद में धन की कमी हो रही है। अतः वित्तीय वर्ष 2021–22 के समावर्तन समारोह/स्वर्ण पदक मद में रू0 45.00 लाख को बढ़ाकर रू0 60. 00 लाख किये जाने पर विचार।	सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति ने वित्तीय वर्ष 2021–22 में समावर्तन समारोह/स्वर्ण पदक मद में रू0 45.00 लाख से बढ़ाकर रू0 60.00 लाख किये जाने की संस्तुति की गयी।	कार्यवाही की गयी
7.	विश्वविद्यालय के कुलपति आवास में सी0सी0 वाकिंग पाथ–वे के निर्माण कार्य हेतु विकास समिति द्वारा निर्णय लिया गया है, जिसके क्रम में कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कन्सट्रक्शन एण्ड इन्फास्ट्रक्चर कार्पोरेशन (सीडको) गोरखपुर द्वारा रू0 5.47 लाख आगणन प्रस्तुत किया गया है। मा0 वित्त समिति से अनुरोध है कि उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन के आधार पर कराये जाने की सहमति प्रदान करना चाहें।	सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति ने विश्वविद्यालय के कुलपति आवास में सी0 सी0 वाकिंग पाथ–वे के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कन्सट्रक्शन एण्ड इन्फास्ट्रक्चर कार्पोरेशन (सीडको) गोरखपुर द्वारा रू0 5.47 लाख के आगणन के आधार पर कार्य कराये जाने की संस्तुति की।	कार्यवाही की गयी
8.	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विन्दुओं पर विचार।		
i.	विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कृषि संकाय एवं इंजीनियरिंग संकाय में अस्थाई एवं गेस्ट फैकेल्टी के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों में सहायक आचार्य को रू0 55000/– (पचपन हजार) प्रति माह नियत मानदेय एवं गेस्ट फैकल्टी को प्रति व्याख्यान रू0 600/– (छः सौ रूपये) की दर से अधिकतम रू0 25,000.00 (पचीस हजार रूपये) प्रतिमाह की दर से सेवायें ली जा रही है। कृपया समिति उक्त दरों की संस्तुति करना चाहे।	सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्तावित दरों को यथावत स्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।	कार्यवाही की गयी
ii.	बायोटेक्नोलाजी विभाग के पत्र दिनांक 09.12. 2021 द्वारा **IRHPA-SERB Project** हेतु एडवाइजर रखे जाने हेतु प्रस्ताव मा0 कुलपति जी को दिया है जिसपर मा0 कुलपति जी वित्त समिति में रखे जाने हेतु निर्देशित किया है, पर विचार।	सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा बायोटेक्नोलाजी विभाग में एडवाइजर रखे जाने हेतु वित्त समिति की बैठक दिनांक 28. 05.2021 के कार्यसूची सं0–02 पर गठित समिति की अनुशंसा की दर द्वारा निर्धारित दर पर रखे जाने की संस्तुति की गयी साथ ही संबंधित विभाग द्वारा संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम से भुगतान की संस्तुति की गयी। विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने हेतु सम्बन्धित विभाग को समिति द्वारा निर्देशित किया गया, तथा प्रस्ताव में एडवाइजर रखे जाने एवं पारिश्रमिक के भुगतान का भी उल्लेख किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	कार्यवाही की गयी

3. वित्तीय वर्ष 2020–21 की बैलेन्स–शीट सी0ए0 द्वारा तैयार कर लिया गया है जिसे अवलोकन एवं पुष्टि हेतु बैलेन्स शीट वर्ष 2020–21 (संलग्नक 03 पृष्ठ सं0 1–6) मा0 वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा बैलेन्स–शीट वित्तीय वर्ष 2020–21 का अवलोकित की गयी एवं बैलेन्स शीट वित्तीय वर्ष 2020–21 की सम्पुष्टि की गयी।

4. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 की पुनरीक्षित बजट एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 की अनुमानित आय–व्यय विवरण मा0 वित्त समिति के सम्मुख (संलग्नक 04 पृष्ठ सं0 1–24) अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। कृपया समिति अनुमोदित/स्वीकृति करना चाहें।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 की पुनरीक्षित बजट एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 की अनुमानित आय–व्यय विवरण का अनुमोदन करते हुए सहर्ष स्वीकृति प्रदान की ।

5. क्रीड़ा परिषद के पत्र दिनांक 29.03.2022 द्वारा महायोगी श्रीगूरू गोरक्षनाथ स्पोर्टस फेलोशिप फार सुपर 100 में 05 (पॉच) प्रशिक्षकों को आउटसोर्सिंग व्यवस्था के अन्तर्गत रू0 850=00 प्रतिदिन की दर से अधिकतम रू0 25,000=00 प्रतिमाह पर (10 माह) तक रखे जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत है। कृपया मा0 वित्त समिति विचार करतें हुए यथोचित अनुमोदन करना चाहें।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त क्रीड़ा परिषद द्वारा महायोगी श्रीगूरू गोरक्षनाथ स्पोर्टस फेलोशिप फार सुपर 100 में 05 (पॉच) प्रशिक्षकों को आउटसोर्सिंग व्यवस्था के अन्तर्गत रू0 850=00 प्रतिदिन की दर से अधिकतम रू0 25,000=00 प्रतिमाह पर (10 माह) तक रखे जाने का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए अनुमोदन की गयी।

6. समन्वयक, स्नातक प्रवेश परीक्षा एवं समन्वयक, परास्नातक प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रस्तुत प्रवेश परीक्षा वर्ष 2022–23 की प्रवेश परीक्षा (स्नातक एवं परास्नातक) के लिए आवेदन शुल्क की दरें एवं अनुमानित बजट (आय–व्यय) विवरण तथा प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित समन्वयक, सह–समन्वयक, केन्द्राध्यक्ष तथा अन्य कार्मियों के भुगतान हेतु अनुमन्य दरें प्रस्तावित की गयी है, कृपया मा0 वित्त समिति विचार करते हुए अनुमोदन करना चाहें।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा वर्ष 2022–23 के समन्वयक द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्ताव पर विचार किया गया विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव को यथावत स्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी। बजट प्रस्ताव निम्नवत् है–

अनुमानित बजट

आय–आवेदन शुल्क–स्नातक	सामान्य/अ0पि0व0	रू0 800.00
	अ0जाति/अ0ज0जा0	रू0 400.00
स्नातकोत्तर	सामान्य/अ0पि0व0	रू0 1000.00
	अ0जाति/अ0ज0जा0	रू0 600.00

अनुमानित आय

क्र0सं0	विवरण	अनुमानित आवेदन सं0	धनराशि
1.	स्नातक प्रवेश परीक्षा	सा0/पि0–55,000 अ0जा0/अ0ज0जा0–10,000	रू0 4,80,00,000.00
2.	स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा	सा0/पि0–12,000 अ0जा0/अ0ज0जा0–3,000	रू0 1,38,00,000.00
		कुल आय	रू0 6,18,00,000.00

अनुमानित व्यय विवरण

क्र0 सं0	मद/विवरण	धनराशि
1.	आनलाइन आवेदन पर व्यय	रू0 25,00,000.00
2.	परीक्षा पूर्व प्रिन्टिंग एवं प्रोसेसिंग	रू0 20,00,000.00
3.	गोपनीय मुद्रण	रू0 50,00,000.00
4.	परीक्षा परिणाम	रू0 20,00,000.00
5.	परीक्षा संचालन समिति का मानदेय व्यय	रू0 25,00,000.00
6.	परीक्षा केन्द्र एवं नोडल सेण्टर पर व्यय	रू0 30,00,000.00
7.	प्रश्नपत्र निर्माण पर व्यय	रू0 5,00,000.00

8.	जलपान पर व्यय	रू0 2,00,000.00
9.	विज्ञापन पर व्यय	रू0 35,00,000.00
10.	अन्य व्यय	रू0 15,00,000.00
	कुल	रू0 2,27,00,000.00

वर्ष 2022–23 की प्रवेश परीक्षा हेतु अनुमन्य दरों का विवरण निम्नवत् है–

1.	प्रवेश परीक्षा समन्वयक प्रत्येक	–	रू0 25,000.00 एक मुश्त
2.	प्रवेश परीक्षा सह–समन्वयक प्रत्येक	–	रू0 20,000.00 एक मुश्त
3.	नोडल अधिकारी		रू0 15,000.00 एक मुश्त
4.	प्रवेश परीक्षा से सम्बद्ध तृतीय श्रेणी कर्मचारी		रू0 10,000.00 एक मुश्त
5.	प्रवेश परीक्षा से सम्बद्ध चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		रू0 7,000.00 एक मुश्त
6.	केन्द्राध्यक्ष		रू0 2,500.00 प्रति पाली
7.	पर्यवेक्षक		रू0 2,500.00 प्रति पाली
8.	सहायक केन्द्राध्यक्ष		रू0 2,000.00 प्रति पाली
9.	मुख्य नियन्ता		रू0 2,500.00 प्रति पाली
10.	सहायक नियन्ता (एक परीक्षा केन्द्र पर एक)		रू0 2,000.00 (प्रति सहायक नियन्ता प्रति केन्द्र)
11.	कोविड–19 के परिप्रेक्ष में सेनेटाइजर इत्यादि		रू0 3,000.00 (प्रति परीक्षा)
12.	प्रवेश परीक्षा कार्यालय पर विविध व्यय (प्रवेश परीक्षा की तैयारी से सम्बन्धित समस्त कार्य)		रू0 12.00 (प्रति छात्र)
13.	केन्द्रों पर विविध व्यय		रू0 10.00 (प्रति छात्र)
14.	मुख्य कक्ष परिप्रेक्षक		रू0 700.00
15.	कक्ष परिप्रेक्षक		रू0 500.00
16.	प्रवेश परीक्षा के दिन समन्वयक कार्यालय (कन्ट्रोल रूम) पर शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भुगतान की दरें निम्नवत् होगीं (i) समन्वयक प्रवेश परीक्षा – रू0 2500.00 प्रति पाली (ii) सह–समन्वयक प्रवेश परीक्षा – रू0 2000.00 प्रति पाली (iii) तृतीय श्रेणी कर्मचारी – रू0 500.00 प्रति पाली (iv) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी – रू0 200.00 प्रति पाली		
17.	प्रवेश परीक्षा में गोपनीय मुद्रण, माडरेशन/रिव्यू आदि के भुगतान की दरें निम्नवत् होगीं (i) आइटम सेटिंग (हिन्दी एवं अंग्रेजी) – रू0 40.00 प्रति अइटम (ii) माडरेशन/रिव्यू – रू0 2000.00 प्रत्येक परीक्षा के लिए		
18.	परीक्षा के दिन गोपनीय सामग्री को केन्द्र पर पहुचानें हेतु कार्य कर रहे (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों) को रू0 500.00 एवं रू0 300.00 प्रति पाली।		
19.	अन्य के सम्बन्ध में वित्त समिति 13.06.2019 द्वारा स्वीकृति दर लागू होंगी।		
20.	प्रवेश परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु नियुक्त केन्द्राध्यक्षों को प्रदत्त धनराशि उनसे प्रमाण–पत्र लेकर समायोजित माना जाय।		

7. विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन द्वारा केन्द्रीय ग्रन्थालय को और सुदृढ़ करने के लिए RFID, Departmental Print Books, Refernces and journals, E.Resources, Cyber Library, Book and Display Racks, R.O., Library Building Maintenance and Eltrical Wiring सहित विभिन्न Consumble Items हेतु मद वार कुल रू0 5,27,00,000=00 (रू0 पॉच करोड़ सत्ताइस लाख मात्र) एवं लाइब्रेरी बिल्डिंग के वायरिंग एवं अनुरक्षण हेतु रू0 50,00,000=00 (रू0 पचास लाख मात्र) का वर्ष 2022–23 हेतु अनुमान प्रस्तावित किया गया है जो मा0 वित्त समिति के सम्मुख विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (संलग्नक 07 पृष्ठ सं0 1–3) कृपया मा0 वित्त समिति विचार करते हुए यथोचित अनुमोदन देना चाहें।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति उक्त प्रस्ताव से अवगत हुई तथा अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की गयी।

8. मा0 वित्त समिति द्वारा पूर्व में दी गयी स्वीकृति के क्रम में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों हेतु संचालित पृथक–पृथक खातों में से अधिकांश को बन्द करते हुए पूल खाते में समायोजित कर लिया गया है एवं भविष्य में भी संचालित होने वाले स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों का लेखा विवरण अलग–अलग रखते हुए इसी पूल खाते से धनराशि का आय–व्यय किया जायेगा, कृपया समिति सहमत होना चाहें।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति उक्त प्रस्ताव से अवगत हुई तथा सहमति व्यक्त की गयी।

9. वित्तीय वर्ष 2021–22 में गृहकर, जलकर मद को रू0 27,50,000=00 (रू0 सत्ताइस लाख हजार रूपये मात्र) का प्रावधान किया गया था जिसके सापेक्ष पूर्व में रू0 1,17,465=00 (रू0 एक सत्रह हजार चार सौ पैसठ मात्र) का भुगतान किया गया था एवं गृहकर एवं जलकर की निगम द्वारा प्रस्तुत बिल रू0 9,21,82,639=00 (नौ करोड़ इक्कीस लाख बयासी हजार छः उन्तालीस मात्र) के सापेक्ष 31 मार्च, 2022 को अत्यन्त अपरिहार्य होने के कारण रू0 1,79,00,000= (रू0 एक करोड़ उन्यासी लाख मात्र) का भुगतान नगर निगम को किया गया है। अतः वित्तीय 2021–22 में गृहकर एवं जलकर मद में प्राविधानित धनराशि रू0 27,50,000=00 (रू0 सत्ताइस ल पचास हजार रूपये मात्र) के स्थान पर रू0 1,81,00,000=00 (रू0 एक करोड़ इक्यासी लाख मा करने हेतु मा0 वित्त समिति कृपया सहमत होना चाहें।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति उक्त प्रस्ताव से अवगत हुई तथा संस्तुति की गयी।

10. श्री संतोष पाण्डेय, डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा प्रस्तुत ई-मेल सर्वर पर नैक मूल्याकन हेतु अनुमानि वार्षिक व्यय रू0 1,96,361=00 का प्रस्ताव प्रस्तुत की गयी थी जिसका वित्त समिति की स्वीकृति कं प्रत्याशा में भुगतान किया जा चुका है। कृपया समिति अनुमोदित करना चाहें।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति उक्त प्रस्ताव से अवगत हुई तथा अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की गयी।

11. विश्वविद्यालय में आवासों में अभी तक भिन्न–भिन्न दर से आवासीय किराये की कटौती सम्बन्धित के वेतन से की जा रही है जो वर्तमान में अत्यन्त कम धनराशि है उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0 लोक निर्माण विभाग–5, लखनऊ दिनांक 01.12.2014 के क्रम में निम्नलिखित आवासीय किराये की दर प्रस्तावित है–

आवास की श्रेणी	प्रस्तावित दर (प्रतिमाह)
टाइप –i	160
टाइप –ii	450
टाइप –iii	780
टाइप –iv	1560

कृपया प्रस्तावित दर को मा0 वित्त समिति स्वीकृति करना चाहें।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के आवासों के सम्बन्ध उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0 लोक निर्माण विभाग–5, लखनऊ दिनांक 01.12.2014 के क्रम में प्रस्तावित आवासीय किराये की दर को स्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।

12. पूर्व में स्वीकृति स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम यथा (कृषि संकाय, इंजिनियरिंग संकाय) अस्थाई एवं गेस्ट फैकल्टी के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों में सहायक आचार्य को रू0 55,000/– (रू0 पचपन हजार मात्र) प्रतिमाह नियत मानदेय की दर से भुगतान किया जा रहा है। संचालित होने वाली अन्य स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में भी इसी प्रकार अस्थाई एवं गेस्ट फैकल्टी के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों में सहायक आचार्य को रू0 55,000/– (रू0 पचपन हजार मात्र) प्रतिमाह नियत मानदेय भुगतान किये जाने हेतु प्रस्तावित है, कृपया समिति सहमत होना चाहें।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति उक्त प्रस्ताव से अवगत हुई तथा सहमति व्यक्त की गयी।

13. विश्वविद्यालय के मूल्यांकन, प्रश्न–पत्र, माडरेशन, पाठ्यक्रम समिति की बैठक, वस्तुनिष्ठ एवं प्रायोगिक परीक्षा के कार्य से सम्बन्धित देयकों का भुगतान पूर्व की भाँति वर्ष 2021–22 के लम्बित देयों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2022–23 में करने पर विचार हेतु प्रस्तावित है, कृपया समिति सहमत होना चाहें।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के मूल्यांकन, प्रश्न–पत्र, माडरेशन, पाठ्यक्रम समिति की बैठक, वस्तुनिष्ठ एवं प्रायोगिक परीक्षा के कार्य से सम्बन्धित देयकों का भुगतान पूर्व की भाँति वर्ष 2021–22 के लम्बित देयों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2022–23 में किये जाने की संस्तुति की गयी।

14. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार।

i. नैक मूल्यांकन के दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय के भवनों छात्रावासों की मरम्मत एवं रंगाई–पुताई इत्यादि की आवश्यकता को देखते हुए आवश्यक बजट प्रावधान किये जाने पर विचार।

समिति द्वारा विचारोपरान्त यह मत व्यक्त किया गया कि कार्य अधीक्षक किसी अधीकृत कार्यदायी संस्था से आगणन तैयार कराकर विकास समिति के अनुमोदनोपरान्त अगली वित्त समिति में बजट प्रावधान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें, जिसपर वित्त समिति विचार कर सके।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

परीक्षा नियन्त्रक सदस्य	कुलसचिव सदस्य	**क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर** सदस्य (प्रतिनिधि, सचिव उच्च शिक्षा) (प्रतिनिधि सहायक लेखाधिकारी)
29/4/2022 **धर्मेन्द्र प्रकाश त्रिपाठी** (कार्य परिषद द्वारा नामित सदस्य)	29/4/22 **वित्त अधिकारी** सचिव, वित्त समिति	**कुलपति** अध्यक्ष, वित्त समिति